न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
03/32/2020	17.09.2020	02.03.2022

बउनवान

1–रतन लाल पुत्र फुसा राम जाति यादव निवासी ग्राम भजेड़ा तहसील व जिला अलवर राज0

— प्रार्थी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अलवर — अप्रार्थी

धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी हाल खसरा नंबर 2009/0.0100, 2010/0.4100, 2021/1.0000, 2022/0.3300, 2023/0.4500, 2024/0.2100, 2025/0.4700, 2026/0.3400, 2034/0.2600, 2058/0.1000 कुल किता 10 कुल रकबा 3.5800 हैक्टर ग्राम भजेड़ा के साबिक खसरा नंबर 1147 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा थे। मिसल हकीयत संवत 2051 सैटलमेंट से पूर्व साबिक खसरा नंबर 1147 में फूसा दीना पुत्रान डीगा राम था किन्तू बंदोबस्त विभाग ने सहबन से संवत 2051 में फूसा दीना पुत्रान गंगा राम कर दिया तथा इसके पश्चात की बनी जमाबंदियो में भी फूसा दीना पुत्रान गंगा राम चला आ रहा है ।फूसा दीना पुत्रान गंगा राम कोई नही है । वल्कि फूसा दीना पुत्रान डीगा राम है । सरपंच ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र भी इस आशय का प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है । बंदोवस्त से पूर्व भी साबिक रिकार्ड में फूसा दीना पुत्रान डीगा राम है । डीगा राम का स्वर्गवास हो गया है । प्रार्थीयान उसका वारिस है । बंदोबस्त सम्वत 2051 व उसके पश्चात की जमावन्दिया व हाल की जमाबन्दी में फूसा दीना पुत्रान गंगा राम के स्थान पर फूसा दीना पुत्रान डीगा राम धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू के तहत दुरस्त किया जाना आवश्यक है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंदोवस्त संवत 2051 की जमाबन्दी खाता संख्या 31 में तथा हाल की जमावन्दी संवत 2075 में खाता संख्या 30 में क्रम संख्या 10 वे स्थान पर फूसा पुत्र गंगा राम के स्थान पर फूसा पुत्र डीगा राम दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर उक्त तहसीलदार बहादरपुर की रिपोट ली गई। उप तहसीलदार बहारपुर में अपनी रिपोर्ट में आराजी हाल खसरा नंवर 2009/0.0100, 2010/0.4100, 2021/1.0000, 2022/0.3300, 2023/0.4500, 2024/0.2100, 2025/0.4700, 2026/0.3400, 2034/0.2600, 2058/0.1000 कुल किता 10 कुल रकबा 3.5800 हैक्टर ग्राम भजेड़ा में फूसा पुत्र गंगाराम हिस्सा 20/283 दर्ज रिकार्ड है। जमावन्दी संवत 2046 के खाता नम्बर 18 पर साबिक खसरा नम्बर 1140, रकबा 1.01 बीघा, 1141 रकबा 1.02 बीघा,1142 रकबा 3.17 बीघा, 1145 रकबा 4.12 बीघा,1147/1 रकबा 8 बीघा,1148/1 रकबा 3.13 बीघा, 1149/1 रकबा 3.15 बीघा, 1150 रकबा 1.10 बीघा, किता 09 रकबा 30.05 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज0)

में फूसा, दीना पि. डीगाराम 1/4 हिस्सा दर हिस्सा 8 रिकार्ड दर्ज है। भू प्रबन्ध संवत 2051 में सहवन से फूसा दीना पि. गंगाराम हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 08 कॉम अहीर दर्ज होना अंकित किया उक्त इन्द्राज हाल जमाबन्दी ऑन लाईन तक फूसा पि. गंगाराम हिस्सा 20/283 जाति अहीर सा.देह खातेदार चला आ रहा है। उप तहसीलदार बहादरपुर ने जमाबन्दी संवत 2046 के अनुसार हाल रिकार्ड में फूसा पुत्र गंगाराम हिस्सा 20/283 के स्थान पर फूसा राम पुत्र डीगाराम हिस्सा 20/283 सा. देह दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उप तहसील बहादरपुर की अनुशंषा का अवलोकन किया।

जमाबन्दी सवंत 2046 की खाता संख्या 18 पर प्रश्नगत साबिक आराजी पर फूसा,दीना पि.डीगाराम दर्ज रिकार्ड है। सैटलमेन्ट संवत 2051 में फूसा, दीना पि.गंगाराम का अंकन हो गया सैटलमेन्ट विभाग का उक्त इन्द्राज एक लिपिकीय त्रृटि की श्रेणी में आता है। प्रार्थीगण के उक्त कथन के संदर्भ में सर्वप्रथम यह देखा जाना है,कि आया बन्दोबस्त कार्य समाप्त होने के बाद भी 136 एल.आर.एक्ट के तहत दुरूस्ती की जा सकती है? इस तथ्य के विवेचन के लिए धारा 136 को यंहा उद्वरत किया जाना समीचीन होगा।

136 Correction of errors :- the land Records officer may at any time, correct of cause to be corrected in the presctibed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been mad in the record to rights or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any Registar.

Provided that any error is noticed by a Revenue officer in any record of tights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been to the parties.

इस प्रकार बन्दोबस्त के दौरान बन्दोबस्त विभाग द्वारा इन्द्राज करते समय पूर्व इन्द्राज को हजफ कर नया इन्द्राज करने में त्रृटी कारित की है। जबकि दौराने बन्दोबस्त संक्रिया पूर्व इन्द्राज ही रिपीट होना चाहिए थे। उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप मेरे अभिमतानुसार प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत आराजी के संबंध में बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई त्रृटी को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा नम्बर 2009/0.0100, 2010/0.4100, 2021/1.0000, 2022/0.3300, 2023/0.4500, 2024/0.2100, 2025/0.4700, 2026/0.3400, 2034/0.2600, 2058/0.1000 कुल किता 10 कुल रकबा 3.5800 हैक्टर ग्राम भजेडा में फूसा पुत्र गंगाराम हिस्सा 20/283 के स्थान पर फूसा राम पुत्र डीगाराम हिस्सा 20/283 जाति अहीर दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

(प्यारेलाल अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर